(ख) यदि हां, तो उन औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक धनराशि के बारे में उत्तराधिकारियों से किस तरह की औपचारिकताएं पूरी करने के लिये कहा जाता है?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन): (क) और (ख). सरकार द्वारा वर्ष 1975 में, बैंकों में ग्राहक सेवा विषयक एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था, जिसने यह सिफारिश की थी कि मृतकों के उत्तराधिकारियों/दावाकर्ताओं को मृतक-खाता में पड़ी शेष जमा राशि की अदायगी, वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना, परन्तु उपयुक्त स्थानीय जांच तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर की जाए। इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पहले ही कहा जा चुका है। लेकिन दावाकर्ताओं द्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं तथा इस प्रकार के किस हद तक के दावों को शाखा प्रबन्धकों द्वारा निपटाने की शक्तियां, अलग अलग बैंकों पर छोड़ दी गयी थीं। सामान्यतः इस प्रकार के 5000 रुपये तक के दावों को निपटाने का अधिकार शाखा प्रबन्धकों में निहित है। इस सम्बन्ध में पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं में भी एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्नता है, लेकिन कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र के बैंक निम्नलिखित औपचारिकताओं में से एक अथवा अधिक के लिए जोर देते हैं:

1) मृत्यु प्रमाणपत्र;

2) अदायगी के लिए आवेदन पत्र;

3) अन्तर्ग्रस्त राशि की अदायगी किए जाने के सम्बन्ध में किसी दावा, मांग, कार्यवाहियों, हानियों तथा नुकसानों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के बारे में जमानतदारों के साथ किये गए क्षतिपूर्ति सम्बन्धी करार;

4) उन व्यक्तियों से घोषणापत्र जिनको बैंक जानता हो;

5) दो ऐसे मान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए शपथपत्र जिन्हें मृतक का परिवार जानता हो और उक्त शपथपत्र, नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा सत्यापित किया गया हो;

6) सभी उत्तराधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित अधित्यागपत्र ;

7) सम्बन्धित पास बुक/अप्रयुक्त चेक फार्म।

जिन मामलों में दावेदारों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते उनमें उपर्युक्त सूचीवद्ध औपचारिकताएं पूर्ववर्ती शर्तों के रूप में आवश्यक हैं। इन औपचारिकताओं को पूरा करने में कोई ज्यादा खर्च नहीं लगता क्योंकि ये कागजात या तो सादे कागज पर अथवा कम खर्चीले स्टाम्प वाले कागज पर तैयार करने पड़ते हैं भविष्य में किन्हीं प्रतिदावों के सम्बन्ध में बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कागजात आवश्यक समझे जाते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की फतेहपुरी स्थित शाखा में मृत व्यक्तियों के बचत बैंक खाते

3661. **श्री अशोक गहलोत**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मृत व्यक्तियों के उन बचत बैंक खातों की संख्या कितनी है जो भारतीय स्टेट बैंक की फतेहपुरी स्थित शाखा में अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) क्या उक्त शाखा के बैंक मैनेजर को ऐसे खाताधारियों के उत्तराधिकारियों को धन का भुगतान करने की विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो इन विशेष शक्तियों के अधीन कितनी राशि निकाली जा सकती है;

(घ) उन खाताधारियों का ब्यौरा क्या है जिनके उत्तराधिकारियों को बैंक मैनेजर द्वारा इस प्रयोजन के लिये उसे दी गई विशेष शक्तियों के अन्तर्गत उस धन की वापसी की जा सकती है;

(ङ) क्या भारतीय स्टेट बैंक के उच्च अधिकारियों का विचार उक्त बैंक मैनेजर को निर्देश जारी करने का है जिससे कि उत्तराधिकारियों को छोटी-छोटी राशियां निकालने के लिये मंहगी औपचारिकताओं के कठिन मार्ग से न गुजरना पड़े;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन): (क) पांच ।

(ख) जी हां, परन्तु ऐसे मामलों में जहां वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किये जाते, स्थानीय पूछताछ की जाती है तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कागजात लिए जाते हैं।

(ग) 2,500/- रुपये ।

(घ) मृत संघटकों के 5 खातों में से अभी तक केवल एक खाते के सम्बन्ध में दावा प्राप्त हुआ है । कानून के अनुसार बैंकरों में प्रचलित प्रथा और रिवाजों के अनुसार यह खेद है कि मृत संघटकों के नाम प्रकट नहीं किये जा सकते ।

(ङ) से (छ). बैंकों में मृत संघटकों के बनत बैंक खातों में परिसम्पत्ति के दावेदारों को, वैध कागजातों की अनुपस्थिति में निम्न औपचारिकताओं को प्रस्तुत करना/पूरा करना आवश्यक है:-

1. मृत्यु-प्रमाणपत्र,

2. भुगतान के लिये आवेदन पत्र,

3. अंतर्ग्रस्त राशि की अदायगी किये जाने के सम्बन्ध में किसी दावा, मांग, कार्यवाहियों, हानियों तथा नुकसानों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने के बारे में 2 जमानतदारों के साथ किए गए क्षतिपूर्ति सम्बन्धि करार (जब अन्तर्ग्रस्त राशि 100 रुपये से कम की हो तो क्षतिपूर्ति पर टिकट लगाना आवश्यक नहीं है।)

4. दो ऐसे मान्य व्यक्तियों द्वारा दिये गये शपथ-पत्र जिन्हें मृतक का परिवार जानता हो और उक्त शपथ-पत्र, नोटरी पब्लिक अथवा न्यायाधीश द्वारा सत्यापित किया गया हो ।

5. मृतक के सभी उत्तराधिकारियों द्वारा दावेदारों के पक्ष में अपने अधिकार के त्याग का हस्ताक्षरित परित्याग पत्र ।

6. खाते की जारी पास बुक तथा चैक बुक ।

ये औपचारिकताएं न तो कठिन हैं और न ही खर्चीली, क्योंकि उपर्युक्त सूची के दस्तावेज या तो सादे कागज पर तैयार करने होते हैं या केवल 2 रु. मूल्य के कम खर्चीले स्टाम्प कागज पर । भविष्य के किन्हीं प्रतिदावों के संबंध में बैंकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कागजात आवश्यक समझे जाते हैं । जब दावों के निपटान में अनावश्यक रूप से विलम्ब होने के मामले बैंक के उच्चतर प्राधिकारियों के ध्यान में लाए जाते हैं तब वे अधिकारी हर तरह से हस्तक्षेप करते हैं।

Construction of Public Sector Aluminium Plant in Backward Ratnagiri District of Maharashtra

3662. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what are the difficulties in proceeding with the work of construction of the Public Sector Aluminium plant in the backward Ratnagiri district of Maharashtra; and

(b) in case there are difficulties, do Government propose to start a project for the manufacture of alumina instead of aluminium?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b). The Ratnagiri Aluminium Project